

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान,
पंजाबी बाग (पश्चिम), रोड नं. 66, नई दिल्ली – 110026
Central Ayurveda Research Institute,
Punjabi Bagh (West), Road No. 66, New Delhi – 110026

राजपत्रित/गैर राजपत्रित के यात्रा
खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रपत्र

किए गए खर्च का ब्योरा

दिनांक	से यात्रा	तक	दूरी	वहन का प्रकर	वाहन की संख्या	राशि
--------	-----------	----	------	--------------	----------------	------

यात्रा का कारण..... कुल योग.....
.....
.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा के लिए भाड़े पर लिए गए वाहन का खर्च मेरे द्वारा ही वहन किया गया है।

दावेदार के हस्ताक्षर
दिनांक.....

नोट: दावाकर्ता को बस/टैक्सी/स्कूटर/टांगा/ऑटो रिक्शा चालक द्वारा दिए गए टिकट/रसीद अवश्य संलग्न करना चाहिए। यदि वाहन चालक द्वारा टिकट/रसीद नहीं दिया जाता है तो भाड़े पर लिए गए वाहन का पंजीकृत नवम्बर दर्ज करें।

प्रतिनिधि मण्डल के अधिकार नियम 2005. के अन्तर्गत प्रमाणत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डॉ.....
.....जिन्होंने रु.....(रुपये.....
.....) का इस बिल में यात्रा भत्ते का दावा किया है मेरे द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि भाड़े के वाहन पर खर्च की गई धनराशि नियमानुसार ठीक और अपरिहार्य (Unavoidable) है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दावा किए गए राशि के लिए वह यात्रा भत्ते के लिए साधारण नियम के अधीन यात्रा भत्ता लेने का अधिकारी नहीं होगा। और उसे किसी प्राकर की कोई प्रतिपूरक छुट्टी नहीं दी जाएगी।
4. प्रमाणित किया जाता है कि इस माह के दौरान, इस बिल में दर्शायी गई राशि सहित जो कि भाड़े के वाहन पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ती के लिए है, रु. 300/—(रुपये तीन सौ मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए
5. प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा के लिए तय की गई दूरी 3 (तीन) किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
6. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी के अनुसार सत्यापित कि गई राशि जिसके लिए भाड़े पर लिए गए वाहन द्वारा तय की दूरी, सही है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कसरकारी कर्मचारी को यात्रा के लिए स्टाफ/फील्ड कार उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
8. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए टैक्सी/स्कूटर को भाड़े पर लाना जरूरी था।
9. प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी को कार्यालय की ओर से कोई साईकिल उपलब्ध नहीं कराई गई है। (केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए)

निदेशक

सेवा में,

लेखा अनुभाग,

रु.....(रुपये.....

.....केवल)

निदेशक